न्यायायलय उपखण्ड अधिकारी ,श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)
पीठासीन अधिकारी– श्री मती सीता शर्मा आर.ए.एस.

1. मामकौरी देवी पुत्री नानू देवी एंव मोहनलाल पत्नी तेजाराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 19 धक्का बस्ती घडसाना जिला श्री गंगानगर राजस्थान ।

—वादी —

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व ,श्रीविजयनगर ।

— प्रतिवादी —

उपस्थित :— श्री प्रेमसिंह सैनी एडवोकेट — वादी की ओर से
तहसीलदार ,श्रीविजयनगर — पैरवकार राज

(वाद पत्र अ.धा. 88 आर.टी.ए. सपठित धारा 136एल.आर.एक्ट)

प्रकरण संख्या 69 / 2023
जी.सी.एम.एस. 2023 / 96

दिनांक : 15.02.2024

प्रकरण के संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार से है :—

कि वादी के द्वारा एक वाद पत्र अनवानी इस न्यायालय में पेश किया है कि वादीया की माता नानू देवी के नाम से चक 10बी.एल.एम. बी. का मु.न. 27 प.न.206 / 415 में भूमि धारण करती थी वादीया की माता का देहान्त हो चुका है उनके देहान्त उपरांत उक्त भूमि में नानू देवी का हिस्सा वादीया व नानू देवी के अन्य उत्तराधिकारीयों के नाम से दर्ज हो चुकी है चूँकि वादीया को पीहर में स्नेहवंश मनोहरबाई के नाम से जाना व पुकारा जाता था इसलिए उक्त भूमि के रिकार्ड में मेरा नाम मनोहर बाई पुत्री नानूदेवी के नाम से दर्ज कर दिया गया जबकि वादीया का वास्तविक नाम वादीया के पहचान व पता संबंधि दस्तावेज में मामकौरी देवी है व इस बाबत आधार कार्ड, जनआधार, फोटो पहचान पत्र पेश किये है व उक्त भूमि में वादीया का नाम मामकौरी देवी के स्थान पर मनोहर बाई दर्ज होने से भूमि सुधार हेतु ऋण प्राप्त करने, आबयाना अदा करने, लगान आदि अदा करने सहीत सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में असुविधा होने व वाद पत्र प्रस्तुत करने से एकमाह पूर्व ऋण हेतु बैंक अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर बैंक अधिवक्ता के द्वारा राजस्व रिकार्ड में उक्त गलती बाबत बताया जाकर इसे दरूस्त करवाने का कहा तो

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

किया जाकर अनुतोष चाहा गया है कि चक 10बी.एल.एम. बी. की जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 का खाता सं. 31 मु.न. 27 प.न. 206/415 में दर्ज मनोहरबाई पुत्री नानू देवी के स्थान पर मामकौरी देवी पुत्री नानू देवी पत्नी तेजाराम दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये जावे व अन्य अनुतोष जो हक में सादिर फरमाये जाने के अनुतोष चाहे है ।

यह कि वाद पत्र पेश किया जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरीये सम्मन तलब किया गया व तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के द्वारा अपना जवाब मय पटवारी रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत कर मनोहरबाई पुत्री नानू देवी व मामकौरी देवी पुत्री नानू देवी पत्नी तेजाराम दौनो नाम की एक ही औरत होना जाहिर किया है व इस भूमि में अन्य सहखातेदारान के द्वारा भी अपना शपथ पत्र पेश करते हुए वादीया के वाद पत्र का समर्थन किया है । वादीया के द्वारा अपने वाद के समर्थन में आधार कार्ड, जनआधार, पहचान पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत का दौनो नाम की एक ही औरत होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है एंव प्रदर्शित करवाया है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी के वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया है कि वर्तमान जमाबनदी चक 10बी.एल.एम. बी का मु.न. 27 प.न. 206/415 जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 का खाता सं. 31 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे मनोहर बाई पुत्री नानू देवी के स्थान पर मामकौरी देवी पुत्री नानू देवी पत्नी तेजाराम दूरूस्त किया जावे पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एंव जवाब प्रतिवादी का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र के तथ्यों से कोई एतराज प्रकट नहीं किया है पत्रावली में आयी दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधर पर वादी का वाद पत्र अ.धा. 88 आर. टी.ए. सपठित धारा 136एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी चक 10बी.एल.एम. बी का मु.न. 27 प.न. 206/415 जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 का खाता सं. 31 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे मनोहर बाई पुत्री नानू देवी के स्थान पर मानोहरी बाई उर्फ मामकौरी देवी पुत्री नानू देवी पत्नी तेजाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व श्रीवजियनगर उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबन्दी में दूरूस्ती कर मनोहर बाई पुत्री नानू देवी के स्थान पर मनोहरी बाई उर्फ मामकौरी देवी पुत्री नानू देवी पत्नी तेजाराम दर्ज करें । पत्रावली फैसला शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है ।

श्रीमती सीता शर्मा
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर ।

Scanned with CamScanner